आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 13.03.2023 से 19.03.2023)

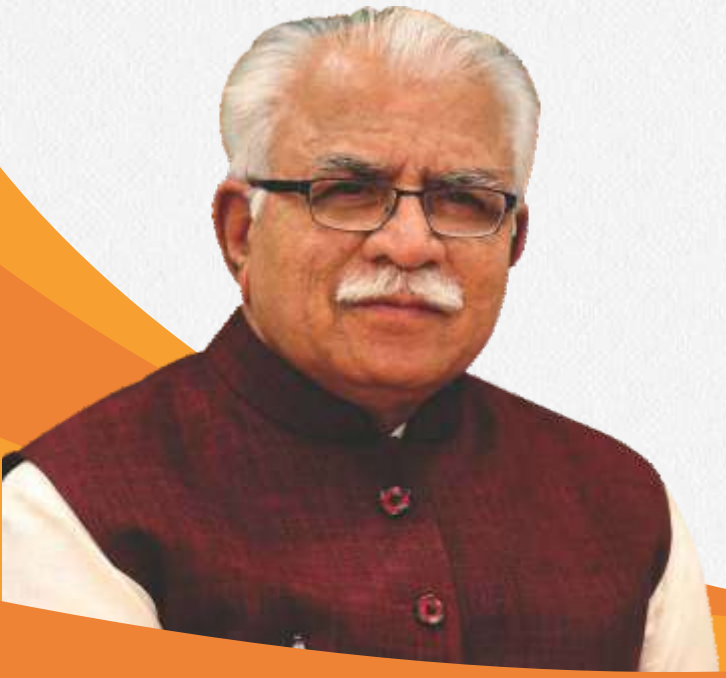

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

चरखी दादरी में जनसंवाद कार्यक्रम

(दिनांक 13.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आज चरखी दादरी में नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में लगभग 150 शिकायतें रखी गई, जो सिंचाई विभाग, विकास एवं पंचायत, पुलिस, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य, बिजली निगम आदि से संबंधित रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक–एक शिकायतकर्ता की बातों को धैर्यपूर्वक सूना और शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन संवाद कार्यक्रम में गांव समसपुर की सरपंच नीतू ने पानी निकासी और पेयजल

साप्ताहिक सूचना पत्र

आपूर्ति नहीं होने की शिकायत रखी थी। इस पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नियमित जलापूर्ति डेढ़ साल में संभव है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में रोजाना प्रति व्यक्ति 50 से 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, गांधीनगर के नगरपार्षद ने दूषित पानी की निकासी से संबधित शिकायत रखी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्थाई व्यवस्था कर पानी को निकालने के आदेश दिए। कार्यक्रम में सीवरेज सफाई का मामला भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया, जिस पर उन्होंने दो माह तक सुपरसकर मशीन को दादरी में रखने के आदेश दिए।

गांव रामनगर की एकता कल्याण समिति ने रामनगर विहार कालोनी को नियमित करवाने के लिए आवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी ने इस मामले में एक सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा, दादरी शहर में नगरसुधारमंडल के 42 साल पहले काटे गए प्लाटों का आवंटन करने के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात दिन में इस पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद के दौरान कहा है कि हर अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी–2023 के समापन समारोह

(दिनांक 13.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज चरखी दादरी में 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी–2023 के समापन अवसर पर संबोधित कर कहा कि पशुओं की देखभाल हेतु प्रदेश में छः पॉलीक्लीनिक बनाये जाएंगे। चरखी दादरी में भी एक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा।

वर्तमान में 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं। इसके अलावा, प्रदेश में गौ वंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा बढ़ोत्तरी करके 400 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे पूर्व, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपये से कम है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के

अंतर्गत अधिकतर परिवार पशुपालन के काम में आगे आ रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए बैंकों के माध्यम से इन परिवारों को ऋण दिलवाया जा रहा है। इस साल 2 लाख परिवारों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023–24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट सांझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की जमीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक,

जिनके पास अपने पशु बांधने के लिए जगह नहीं है, वे इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। 1 अप्रैल, 2023 से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौ वंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया है।

बेसहारा गौ वंश की देखभाल के लिए बजट में वृद्धि की गई है। इसमें उन गौशालाओं को अधिक बजट दिया जाएगा, जो बेसहारा गौ वंश की देखभाल करेंगी। पंचायत या अन्य संस्थाएं भी गौशाला बनाकर पशुओं की देखभाल करेंगी, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने प्रदर्शनी में आए किसानों व पशुपालकों से आह्वान किया कि वे पारंपरिक खेती के अलावा, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, फूड प्रोसेसिंग के लघु उद्योग लगाने जैसे अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अपनायें। यदि किसी को कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने के लिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है।

हरियाणा की फेमिली आईडी योजना को तरह उत्तर प्रदेश भी करेगा शुरू

(दिनांक 14.03.2023)

प्रभाव : भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी व्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नई पहल की हैं जिनकी देशभर में काफी सराहना हुई है इनमें से कई योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने भी लागू किया है। ऐसी ही योजनाओं में से एक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।

विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों का स्वतरू चयन किया जाता है। इस योजना को अब उत्तर प्रदेश ने भी अपनाया है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हरियाणा की इस योजना का अध्ययन किया और अब यूपी सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी की तरह परिवार आईडी जारी करेगी। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार तथा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

हरियाणा ने नई–नई योजनाएं शुरू कर केंद्र और अन्य राज्यों के सामने मिसाल कायम की है। इन योजनाओं को बाद में कई राज्यों ने अपने यहां अपनाया है। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र ने पूरे देश में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया है। कई राज्य अभी भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि हरियाणा विभिन्न योजनाओं को सफलता से शुरू करने में बढ़त बनाए हुए है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचायती राज संस्थानों के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन

(दिनांक 15.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्होंने सरपंचों से आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें और गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाएं। ई–टेंडरिंग में कोई कठिनाई आएगी तो उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई–टेंडरिंग से सरपंचों के हाथ मजबूत किए हैं, इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की कोटेशन के आधार पर विकास कार्य की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने की घोषणा की, साथ ही उन्होंने सरपंचों का मानदेय 3 से बढ़ाकर 5 हजार तथा पंचों का भी एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए करने की घोषणा करते हुए इसको सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की बात कही। भविष्य में सरपंच ग्राम सचिव की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से

साप्ताहिक सूचना पत्र

कहा कि इस वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही के लिए आवंटित किए गए 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव 31 मार्च 2023 से पहले अपलोड कर दें। इनमें ग्राम पंचायतों को 800 करोड़, ब्लॉक समितियों को 165 करोड़ तथा जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

विकास कार्यों की सोशल–ऑडिट के लिए ग्राम स्तर पर मौजिज लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो गांव में होने वाले विकास कार्यों पर नजर रखेगी। विकास एवं पंचायत विभाग के लिए अलग से इंजीनियरिंग विंग भी गठित की जाएगी। विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए 6 माह में सोशल ऑडिट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 'गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण' की स्थापना की जा रही है। ई–निविदा के माध्यम से करवाए जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

बिजली के बिलों पर लगाया जा रहा पंचायत कर बकाया राशि सहित 1 अप्रैल,2023 से पंचायतों को दे दिया जाएगा। इसमें से पंचायतों के लंबित बिजली बिल की कटौती करके हर तिमाही में भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में संपत्ति की बिक्री पर 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जिन पूर्व सरपंचों ने अपना रिकार्ड वर्तमान सरपंच को सुपूर्द नहीं किया है वे इससे तुरंत सौंप दे। उन्होंने बताया कि पंचायतों के पिछले कार्यकाल के 1100 सरपंचों के खिलाफ जांच चल रही है।

धन्ना भगत संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात

(दिनांक 15.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी के नेतृत्व में मिलने आए जींद ,कैथल ,फतेहाबाद ,हिसार व संगरूर ज़िले के धन्ना भगत जी से जुड़ी संस्थाओं के मुखिया और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, सरपंचों को सम्बोधित कर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पहली सरकार है जिसने सर्व समाज के सभी संत महात्माओं एवं महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का आरम्भ किया ताकि प्रदेश के लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। सरकार द्वारा गाँव धनौरी में 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक धन्ना भगत जी की जयंती–कार्यक्रम धूमधाम से किया जाएगा। इस अवसर पर धनौरी गाँव की समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाई गई और धन्ना भगत जी की प्रतिमा भेंट की गई इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आए हुए प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए कि धन्ना भगत जी की जंयती कैसे भव्य और धूमधाम से मनाई जाए।

ट्राईसिटी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की बैठक

(दिनांक 16.03.2023)

प्रभाव : पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में आज ट्राईसिटी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली (ट्राई सिटी) में यातायात व्यवस्था तथा तीनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि मेट्रो के माध्यम से जीरकपुर को पिंजौर–कालका तक जोड़ा जाए, ताकि चंडीगढ़ आने वाले नागरिकों को बेहतर

आवागमन सुविधा मिले। इसके अलावा, चंडीगढ़ से पिंजौर– कालका को भी जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकूला के इलाकों को भी शामिल किया जाए। इसके लिए मेट्रो के पहले फेज में ही ये सभी रूट शामिल किये जाने चाहिएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा सिविल सचिवालय, विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पीजीआई तथा एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नागरिकों की आवाजाही अधिक रहती है। यदि इन स्थानों को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा, तो आमजन को ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी और उनके समय व पैसे की भी बचत होगी। इसलिए पहले फेज में ही इन मुख्य स्थानों को जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि पंचकूला वासियों के लिए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करने के साथ साथ ट्राईसिटी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना ही मेट्रो प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को समन्वय स्थापित करते हुए पूरे तालमेल के साथ आगे बढ़ना है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

दयालु योजना की शुरुआत

(दिनांक 16.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की के लिए एक ओर कदम बढ़ाते हुए सामाजिक –वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आज दयालु योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।

प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1. 80 लाख रुपये तक है, उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ

(दिनांक 16.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निःशुल्क प्राप्त होगा। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़

साप्ताहिक सूचना पत्र

रुपये तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।

योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी जब भी अपनी दुकान बंद कर घर वापस पहुंचता है तो उसे किसी भी कारण से अनहोनी की आशंका सताती रहती है। इसलिए ऐसे सभी व्यापारियों के व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन

(दिनांक 16.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आयोजित राज्य स्तरीय अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले चरण के अंत्योदय मेलों में 2 लाख परिवारों का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को जिला लघु सचिवालय, अस्पताल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थलों पर वीटा बूथ खोलने के लिए विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए जा रहे अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवा अब वीटा बूथ व हरहित स्टोर खोल कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय उत्थान मेलों के लिए 2 अप्रैल से गांव स्तर पर

साप्ताहिक सूचना पत्र

कांउसलिंग शुरू की जाएगी तथा इसमें गांव स्तर की सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा इन मेलों में प्राईवेट कम्पनियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर आवश्यक प्रबंध किए जाए तथा इसकी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चि की जाए। इसके अलावा ई–रिक्शा को बढावा देने के लिए नई योजना तैयार की जाएगी जिसमें स्वरोजगार के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

अंत्योदय परिवार योजना का लाभ देने के लिए एक लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक आय वाले परिवारों के आवेदक नहीं आते तो इसे 1.80 लाख रुपए तक किया जाए।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करना

(दिनांक 16.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने निवास संत कबीर कुटीर में मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मीडियाकर्मियों को सम्बोधित कर कहा कि मीडिया जनता और सरकार के बीच जानकारियां प्रदान करने का एक माध्यम होता है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में मीडियाकर्मियों ने जोखिम उठाकर लोगों तक पल–पल की जानकारियां पहुंचाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर स्वैच्छिक कोटे से 21 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पत्रकार जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन का जैसा नाम है वैसा ही वे कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सबका

साप्ताहिक सूचना पत्र

साथ–सबका विकास–सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही है। उसी तर्ज पर चलते हुए एसोसिएशन ने संगठित होकर कार्य करने की शुरूआत की है। कोरोना काल के दौरान जिस सोच के साथ पत्रकारों ने आपसी सहयोग के लिए अपने स्तर पर इस एसोसिएशन का गठन किया था, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशभर से आए हुए 151 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10–10 लाख सावधिक बीमे की पॉलिसी प्रति प्रदान की। पूरे प्रदेश से आए 151 पत्रकारों का बीमा का प्रीमियम का एक भी पैसा उनसे नहीं लिया गया है। इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष की आयु से ज्यादा सक्रिय पत्रकार श्री नरेश उप्पल, श्री सुमन भटनागर तथा श्री जगदीश त्यागी को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसोसिएशन द्वारा दी गई मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक का आयोजन

(दिनांक 18.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरम्भ हो जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने निर्देश दिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यो के क्रियान्वयन में बाधाएं आई, लेकिन अब हमें तेजी से कार्य कर लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

साप्ताहिक सूचना पत्र

बनाए जाने हैं। इनकी सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी करके अगले माह से कार्य आरम्भ कर दिया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार प्ले वे स्कूलों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। हर जिलें में 5 एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले अमृत वन योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों व अमृत सरोवरों के चारों तरफ भी ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाए जांए। इसके अलावा अरावली क्षेत्र गुरूग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाए ताकि यह थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह से भेजना सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हालचाल पूछने के लिए सम्पर्क स्थापित किये जाने का

कार्य भी जल्द शुरू किया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं। चिरायु हरियाणा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चौरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य चौकअप जल्द हो सके। पर्यटन को बढावा देने के लिए महेन्द्रगढ के ढोसी पहाड़, लोहगढ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मैमोरियल तथा राखी गढी में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाए। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचानात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए। पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाईल युनिट भी जल्द शुरू की जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण देने का कार्य भी आगामी माह से शुरू किया जाए। ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बेसहारा गाय न रहें, इसके लिए सरकार ने गौशालाओं को ग्रांट देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें गौशाला संचालक स्वंय रूचि लेकर बेसहारा गायों को आश्रय देंगे तभी उन्हें ग्रांट का लाभ मिलेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के लाभार्थियों से सीधा संवाद करना

(दिनांक 18.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर कहा कि प्रदेश में नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) बेहद कारगर साबित हो रहा है।

इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रान्तिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके काम निर्धारित समय–सीमा के अन्दर होने लगे हैं।

इस दौरान लाभार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब उन्हें किसी भी सरकारी सेवा लेने के लिए दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने

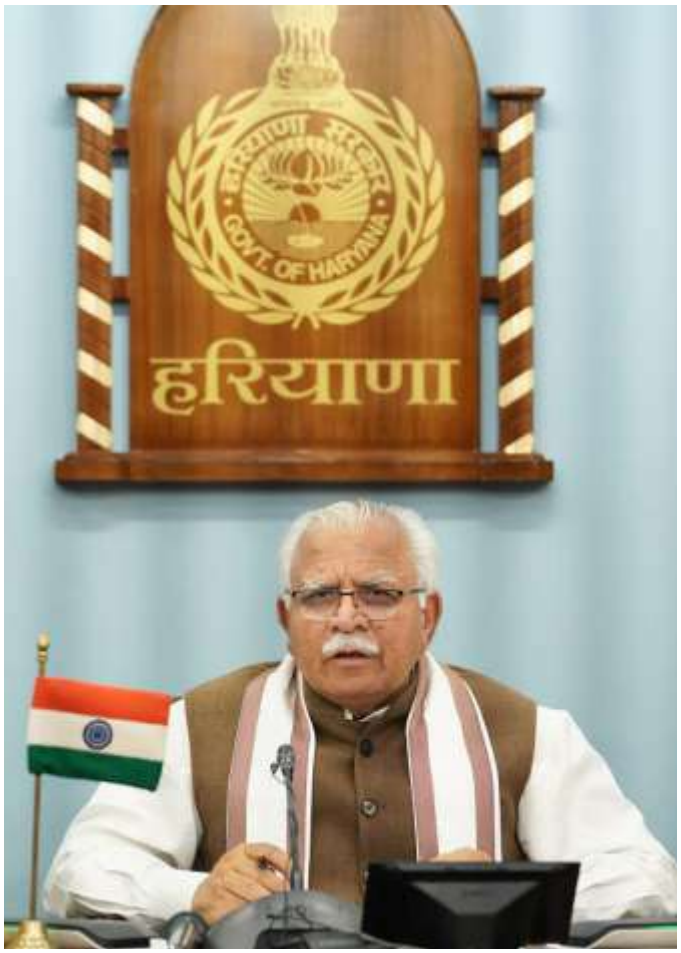

पड़ते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने, जनता को सेवा प्रदायगी

सुनिश्चित करने, कागजी कारवाई को कम से कम करने और लिटिगेशन कम करने के लिए राज्य सरकार ने 1 सितम्बर, 2021 को ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की थी।

इस सिस्टम पर 33 विभागों की 384 सेवाएं ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। इसके लिए, सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारी सराहना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आस के लागू होने से समय पर सेवा न मिलने पर नागरिक की ओर से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को एक स्वचालित अपील की जाती है।

यदि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास चली जाती है। इसी तरह, यदि वह भी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान

नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से सेवा का अधिकार आयोग के पास जाती है।

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। आस के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2021 से 17 मार्च, 2023 तक कुल 6,54,799 अपील दायर हो चुकी हैं। इनमें से 6,10,145 अपीलों का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देरी से सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए भी आस को कारगर ढंग से लागू किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने अनेक सेवाओं और योजनाओं को ई–सेवाओं से जोड़ा है। जिस प्रकार सेवा का अधिकार आयोग ने अपनी सेवा को ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने का काम किया है। उसी प्रकार, सरकार ने ई गवर्नेंस यानी विभिन्न वेबसाईट, पोर्टल, एप के माध्यम से आम आदमी की पहुंच सरकारी सेवाओं व योजनाओं तक सुनिश्चित की है।